

**न्यायालय—श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.कं.—687 / 2003  
 संस्थित दिनांक—23.12.1993  
 फाईलिंग क्र.234503000082003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना परसवाड़ा,  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

बुद्धनसिंह मर्सकोले पिता सोहनलाल, उम्र—63 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम पौनी, वार्ड नंबर—6, थाना मलाजखण्ड,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

**आरोपी**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक—17/02/2017 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—420 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—28.06.1993 को थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बघोली में फरियादी खूबचंद से 12000/—रुपये, नौकरी लगा देने का आश्वासन देकर बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित कर प्रवंचित किया और एतद् द्वारा छल किया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी खूबचंद रिनयत ने दिनांक—01.10.93 को थाना परसवाड़ा आकर एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि वह ग्राम बघोली रहता है और उसकी शैक्षणिक योग्यता 11वीं से मेट्रिक पास है। उसने वन विभाग में फंड मुंशी का कार्य किया है, जिस कारण वह वन विभाग में कार्यरत बुद्धनसिंह मर्सकोले को जानता था और बुद्धनसिंह का ग्राम बघोली आना—जाना होता रहता था। उसे तीन माह पूर्व आरोपी बुद्धनसिंह मिला था और आरोपी ने आश्वासन दिया था कि मानेगांव स्कूल में रजपालसिंह प्राचार्य से कहकर उसकी नियुक्ति करवा देगा। आरोपी बुद्धनसिंह ने उससे 12,000/—रुपये की मांग की थी और कहा था कि इससे पूर्व उसने उनके गांव के रतनलाल बिसेन की नियुक्ति करवाई है। इसी प्रलोभन में आकर फरियादी ने दिनांक—28.06.93 को आरोपी बुद्धनसिंह को पैसा दिया था। जब उसने पैसा दिया तब ग्राम के सरपंच बालकराम हिरवाने, मोहनसिंह,

देवीलाल, रतनलाल बिसेन आदि लोगों के सामने आरोपी बुद्धनसिंह ने कहा कि दिनांक-01.07.93 को पल्हेरा आ जाना और अपना नियुक्ति आदेश ले लेना। जब वह ग्राम पल्हेरा गया तो आरोपी बुद्धनसिंह ने उससे कहा कि तुम्हारा काम हो गया है, तुम सामान लेकर बिरसा में आकर रहो, एक दो दिन में आर्डर मिल जाएगा, तब वह बिरसा में मधु पटले के मकान में रहने लगा, किन्तु नियुक्ति पत्र न मिलने से वह आरोपी बुद्धनसिंह से मिला। आरोपी बुद्धनसिंह ने उसे रजपालसिंह से मिलाया, तब रजपालसिंह ने उससे कहा कि तुम्हारा धन मिल गया है, काम हो जाएगा, इसी प्रकार आरोपीगण उसे आश्वासन देते रहे, परंतु उसे नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। आरोपीगण ने उसके साथ धोखा-धड़ी की है। फरियादी के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-74/93, धारा-420, 34 पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा मामलों की विवेचना कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420, 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

3- प्रकरण में आरोपी राजपाल फौत हो जाने से एवं मृत्यु प्रमाणपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किये जाने से उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है।

4- आरोपी बुद्धनसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए गये अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपी बुद्धनसिंह ने दिनांक-28.06.1993 को थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बघोली में फरियादी खूबचंद से 12000/-रुपये नौकरी लगा देने का आश्वासन देकर बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित कर प्रवंचित किया और एतद् द्वारा छल किया ?

#### विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष:-

6- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी खूबचंद अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी बुद्धनसिंह को जानता है। घटना वर्ष

1993 की ग्राम बघोली की है। आरोपी बुद्धनसिंह तत्कालीन समय में वन विभाग में कार्य करता था, इसलिए वह उससे परिचित है। आरोपी बुद्धनसिंह उसके घर आया था और उसने यह कहा था कि 12,000/-रूपये यदि वह दे देगा तो वह उसकी नौकरी लगवा देगा। उसने आरोपी बुद्धनसिंह को 12,000/-रूपये में से एक-डेढ़ हजार रूपये कम दिये थे। वह दो दिन पश्चात् आरोपी बुद्धनसिंह से मिलने उसके घर गया था तो आरोपी बुद्धनसिंह उसे आरोपी रजपालसिंह के घर लेकर गया। रजपालसिंह ने उससे कहा था कि उसने पैसा दिया है, इसलिए उसका काम हो जाएगा और वह बिरसा आकर रहने लगा। आरोपी रजपालसिंह ने उसे किसी तिवारी नाम के व्यक्ति से मिलवाया और कहा कि वह इसके अधिनस्थ कार्य करेगा, तब वह बिरसा में किसी मधु पटले के घर में लगभग एक माह तक रहा। उसका स्वास्थ्य खराब हो जाने से वह अपने ग्राम बघोली आ गया था और एक सप्ताह बाद पुनः बिरसा गया तो उसने देखा कि आरोपी बुद्धनसिंह और रजपालसिंह फरार हो गए थे, इसलिए वह अपना सामान लेकर वापस घर आ गया था।

7— उसने थाना प्रभारी परसवाड़ा को एक लिखित आवेदन दिया था, जो प्रदर्श पी-6 है, जिसके ए से ए भाग पर उसका नाम लिखा है। उसके आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्रदर्श पी-4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-5 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। जब उसने पैसे दिया था, तब वहां सरपंच बालकराम और रतनलाल बिसेन मौजूद थे। उसने आरोपीगण को पैसा अपने ससुराल से एवं गांव के लोगों से मांग कर दिया था। आरोपीगण ने उसे नौकरी लगाने का आश्वासन दिया था और आरोपीगण ने धोखाधड़ी कर उससे पैसे प्राप्त किये थे, परंतु उसकी नौकरी नहीं लगवाई। उसे कभी नौकरी लगने का आदेश प्राप्त नहीं हुआ। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि रिश्वत लेना एवं देना दोनों ही अपराध है, इस बात की उसे जानकारी है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-6 का आवेदन दिया था, उस पर दिनांक का उल्लेख नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी एक ही बार उसके घर आया था और उसने आरोपी को किस दिनांक को रकम दी थी, यह उसे याद नहीं है। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने प्रथम बार 11,000/-रूपये

आरोपी बुद्धनसिंह को दिये थे उसके पश्चात् 1,000/-रूपये और दिये थे। बचाव पक्ष द्वारा पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि उसने 1,000/-रूपये बाद में देने वाली बात अपने प्रदर्श पी-6 के आवेदन में इसलिए नहीं लिखाई थी क्योंकि उसका आवेदन लंबा-चौड़ा हो जाता। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मौकानक्शा प्रदर्श पी-5 पर उसने पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

8— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी शिवनरेश उपाध्याय अ.सा.6 ने यह कहा है कि वह दिनांक-01.10.1993 को थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को खूबचंद रिनायत के द्वारा आरोपी बुद्धनसिंह तथा रजपालसिंह के विरुद्ध एक आवेदनपत्र दिया गया था, जिसके आधार पर उसने अपराध क्रमांक-74/93, दिनांक-01.10.1993 अंतर्गत धारा-420, 34 भा.द.सं. के तहत मामला पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने दिनांक-05.10.1993 को फरियादी खूबचंद की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-5 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने फरियादी खूबचंद साक्षी देवीलाल, मोहनसिंह, मधुकर पटले, बालकराम, रतनलाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। उसने आरोपी बुद्धनसिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिसके ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इंकार किया कि उसने बालकराम हिरवने, रतनलाल, मधुकर पटले, मोहनसिंह एवं देवीलाल के कथन अपने मन से लेख किये थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया था और घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 झूठी दर्ज की थी।

9— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी बालकराम अ.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी बुद्धनसिंह एवं घटना में फरियादी खूबचंद को पहचानता है। घटना उसके बयान देने के 20-25 वर्ष पूर्व की है। घटना के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के विषय में उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और नहीं ही बयान लिये थे। उसने सामने आरोपी को दिनांक-23.10.93 को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे



जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह पूर्व में सरपंच था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि फरियादी ने उसे कहा था कि उसे नौकरी के लिए पैसा देना है और उसने फरियादी के पास पैस कम होने से 1,000/-रुपये दिये थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि फरियादी ने आरोपी बुद्धनसिंह को 12,000/-रुपये दिये थे। साक्षी ने आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही प्रदर्श पी-3 पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया था, परंतु इस बात से इंकार किया कि आरोपी की गिरफ्तारी उसके सामने हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी ने यदि शिकायत की हो तो उसे इस बात की जानकारी नहीं है।

10— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी रतनलाल अ.सा.4 एवं साक्षी मोहनसिंह अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वे आरोपी बुद्धनसिंह तथा फरियादी खूबचंद को पहचानते हैं। घटना के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उनके बयान लेख किये थे। अभियोजन साक्षी रतनलाल अ.सा.4 ने आरोपी बुद्धनसिंह को उसके सामने गिरफ्तार किये जाने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि दिनांक-28.09.93 को आरोपी बुद्धनसिंह ने फरियादी खूबचंद से 12,000/-रुपये नौकरी लगाने के नाम पर प्राप्त किये थे। साक्षी रतनलाल अ.सा.4 ने अपना पुलिस कथन प्रदर्श पी-2 पुलिस को लेख कराए जाने से इंकार किया है।

11— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी मधुकर पटले अ.सा.2 ने कहा है कि वह आरोपी बुद्धनसिंह एवं फरियादी खूबचंद को जानता है। उसका मकान बिरसा में मरारीटोला में है, जिसमें फरियादी खूबचंद 4-6 माह तक निवास करता रहा और कहता था कि वह नौकरी करता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिसवालों ने उससे पूछताछ नहीं की थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि वह निश्चित तौर पर यह नहीं बता सकता कि फरियादी खूबचंद उसके मकान में रहता था या नहीं। साक्षी द्वारा विरोधाभासी कथन किये गए हैं।

12— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी देवीलाल अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी बुद्धनसिंह को जानता है, फरियादी खूबचंद को नहीं जानता। घटना उसके बयान देने के लगभग 8-10 साल पुरानी है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की

थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि घटना दिनांक-28.09.1993 को वह मोहनसिंह के साथ ग्राम बघोली गया था, जहां फरियादी खूबचंद ने आरोपी को 12,000/-रुपये दिया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि पुलिस ने उसके घटना के विषय में कथन लेख किये थे।

13- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420 के अनुसार -“जो कोई छल करेगा, या तदद्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे” अभियोजन कहानी पर यदि विचार किया जावे तो फरियादी खूबचंद अ.सा.7 का यह कहना है कि उसने आरोपी बुद्धनसिंह को 12,000/-रुपये नौकरी लगवाने के नाम पर दिये थे और आरोपी बुद्धनसिंह उसे आरोपी रजपालसिंह के घर लेकर गया था, जहां आरोपी रजपालसिंह ने यह कहा था कि उसे रकम प्राप्त हो गई है और उसकी नौकरी लग जाएगी। आरोपीगण द्वारा झूठा आश्वासन देकर धोखाधड़ी कर उससे 12,000/-रुपये प्राप्त किये गए थे। साक्षी खूबचंद ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि उसने 11,000/-रुपये तत्पश्चात् 1,000/-रुपये आरोपी बुद्धनसिंह को दिये थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी के आवेदन प्रदर्श पी-6 के आधार पर लेख की गई थी। प्रदर्श पी-6 के आवेदनपत्र में दिनांक का उल्लेख नहीं है। प्रदर्श पी-4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर घटना की दिनांक जहां 28.06.1993 लेख कराया गया है, वहीं घटना की रिपोर्ट दिनांक-01.10.92 को लेख होना दर्शित है। फरियादी द्वारा लगभग 4 माह के विलंब से घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई जाने का कोई युक्तियुक्त कारण न तो फरियादी खूबचंद अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है और न ही साक्षी शिवनारायण उपाध्याय अ.सा.6 द्वारा अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया गया है।

14- फरियादी खूबचंद अ.सा.7 का यह कहना है कि उसने राशि बालकराम हिरवाने, मोहनसिंह, रतनलाल बिसेन इत्यादि लोगों के सामने दी थी। अभियोजन साक्षी देवीदयाल अ.सा.1, मोहनसिंह अ.सा.3, रतनलाल अ.सा.4, बालकराम अ.सा.5 ने फरियादी

के कथनों का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि उनके समक्ष फरियादी द्वारा आरोपी बुद्धनसिंह को कोई भी राशि नहीं दी गई थी। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर कोई भी दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह प्रमाणित हो रहा हो कि घटना दिनांक को आरोपी बुद्धनसिंह ने फरियादी खूबचंद से 12,000/-रुपये की राशि छल पूर्वक प्राप्त की थी और फरियादी खूबचंद को यह प्रलोभन दिया था कि वह नौकरी लगवा देगा और बेईमानीपूर्वक फरियादी से राशि प्राप्त करने की प्रवचना की थी। ऐसी स्थिति में आरोपी बुद्धनसिंह द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420 के अंतर्गत अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः आरोपी बुद्धनसिंह को उक्त धारा के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

15— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

16— प्रकरण में आरोपी दिनांक-23.10.93 से दिनांक-29.10.93 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

**निर्णय खुले न्यायालय में घोषित  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया  
गया।**

**मेरे निर्देश पर टंकित किया।**

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)